(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 91/2018 दायर दिनांकः 04.10.2018

उनवान

1. बीरमलाल आत्मज कंवरलाल जाति बैरागी नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. रामलाल आत्मज कंवरलाल जाति बैरागी नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर
2. लालचन्द आत्मज पूरीलाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
3. सुन्दरलाल आत्मज पूरीलाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
4. बालाराम आत्मज मथुरालाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
5. हरिशंकर आत्मज मथुरालाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
6. परसराम आत्मज मथुरालाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
7. हरलाल आत्मज मथुरालाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
8. रामबिलास आत्मज मांगीलाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
9. बाबूलाल आत्मज मांगीलाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
10. जगदीश आत्मज मांगीलाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
11. सत्यनारायण आत्मज मांगीलाल जाति पाटीदार नि. चछलाव तहसील सुनेल
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

अभिभाषक वादी – श्री अशोक पाटीदार

प्रतिवादी सं. 1 से 11 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 12 – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 15.12.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि यह कि [illegible] रो[illegible]बाडी पटवार मण्डल कडोदिया तहसील पिडावा की जमाबंदी खाता सं. 282 नया 238 पुराना में खसरा नं. 826/369 रकबा 7 बिस्वा स्थित है, जिस बाबत यह वाद

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया जा रहा है. इसलिए वाद में इस आराजी को वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद है। यह कि वादग्रस्त आराजी का बेचान दिनांक 09.08.1974 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से निवर्तमान खातेदार श्रीराम, बापूलाल पिसरान भारतराम तथा भुवानीराम आत्मज भंवरलाल द्वारा वादी के पिता श्री कंवरलाल को कर दिया था जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक पिडावा के कार्यालय में रजिस्टर्ड हुआ था। तब से ही वादी के पिता का कब्जा लगातार चला आ रहा है। वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर लगातार चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो कापी संलग्न है। यह कि वादी के पिता कम पढे लिखे व ग्रामीण परिवेश के होने के काण उस समय आराजी का इन्तकाल नही खुला एवं उसके बाद जानकारी के अभाव में यह आराजी विक्रय करने के बाद भी विक्रेता के खाते में दर्ज चली आ रही है। यह आराजी विक्रेता के खाते से कम कर वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की पात्रता वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 रखते हैं। यह कि वादग्रस्त आराजी के विक्रेतागण का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान एवं उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी नं. 2 लगायत 11 होने से पक्षकार बनाये गये हैं। यह कि वाद कारण वादी की जानकारी में जब यह बात आई कि वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण नही खुला तो उसने हल्का पटवारी एवं तहसील में नामान्तरण खोलने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसे यह सलाह दी कि न्यायालय में दावा करो तो वादी के लिए यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रोशनबाडी तहसील पिडावा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि प्रतिवादी नं. 12 राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डन होने से पक्षकार बनाया गया हैं। यह कि वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। यह कि वादी वाद पेश कर प्रार्थना करता है कि–

(अ) यह कि आराजी खाता सं. 282 में खसरा नं. 826/2 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम रोशनबाडी तहसील पिडावा का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 को खातेदार घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

9

(ब) अन्य न्यायोचित राहत जो उचित हो प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 21.11.2019 व दिनांक 04.05.2022 से प्रतिवादी सं. 1 से 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 12 पेरोकार सरकार द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जिससे उनका जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम रोशनबाडी के खाता सं. 169, 282 जमाबंदी सं. 2069–72 की अप्रमाणित प्रति, खाता सं. 314 जमाबंदी सं. 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी सं. 2028–31 प्रदर्श 2, जमाबंदी सं. 2032–35 प्रदर्श 3, जमाबंदी सं. 2041–44 प्रदर्श 4, जमाबंदी सं. 2036–39 प्रदर्श 5, असल रजिस्ट्री दिनांक 09.08.1974 प्रदर्श 6, ग्राम रोशनबाडी के नामान्तरण सं0 72 दिनांक 24.12.1976 की सत्यप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में बीरमलाल पि. कंवरलाल, रामचन्दर पि. पूरीलाल, कन्हैयालाल पि. सालगराम PW-1 To PW-3 के शपथ पत्र/बयान दर्ज कराये।

4. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रोशनबाडी की वादग्रस्त आराजी मूल खसरा न0 369 हाल खसरा नं0 826/369 रकबा 7 बिस्वा तत्कालीन खातेदार श्रीराम, बापूलाल पिसरान भारतराम तथा भवानीराम वल्द भंवरलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 09.08.1974 को वादी के पिता कंवरलाल द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से लगातार कब्जाकाश्त चले आ रहे है। उक्त बैचान का वादी के पिता के पक्ष मे ग्राम पंचायत कडोदिया द्वारा नामान्तरण सं0 62 दिनांक 24.12.1976 को दर्ज किया गया था लेकिन राजस्व कार्मिक द्वारा त्रुटि करते हुए वादी के पिता के पक्ष में खोले गये उक्त नामान्तरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामंद नही किया गया दर्ज नहीं किया गया बाद विक्रेता एवं क्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

खातेदारान के फौत हो जाने से और उनके वारिसान के पक्ष में नामान्तरण दर्ज होने से नामान्तरण तस्दीक नही हो पाया वादग्रस्त आराजी पर आज भी वादी का निरन्तर व शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादी द्वारा पेश साक्ष्य गवाहो से भी साबित है कि वादी का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। आगे तर्क किया कि प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालया में बावजुद सूचना उपस्थित नही होने से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व व कब्जे को स्वीकारते है और अपने पक्ष में कुछ भी कहना नही चाहते है। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी पर खातेदार धोषित किया जावे ।

5. अभिभाषक वादी की बहस एकतरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सवंत् 2069–72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सवंत् 2028–31 प्रदर्श–2, 2032–35 प्रदर्श–3 व सवंत् 2036–39 प्रदर्श–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा न0 369 रकबा 7 बिस्वा श्रीराम, बापूलाल पिसरान भारतराम एवं भवानीराम वल्द भारतलाल व मांगीलाल वल्द धासीराम हिस्सा बराबर के खाते दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सवंत् 2041–44 प्रदर्श–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नया खसरा न0 826/369 रकबा 7 बिस्वा श्रीराम, बापूलाल पिसरान भारतराम एवं मांगीलाल पिता धासीराम के खाते दर्ज रिकार्ड थी। इसी प्रकार ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सवंत् 2069–72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नया खसरा न0 826/369 रकबा 7 बिस्वा श्रीराम, बापूलाल पिसरान भारतराम एवं मांगीलाल पिता धासीराम के खाते दर्ज रिकार्ड थी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

6. वादी द्वारा पेश रजिस्ट्रर्ड विक्रयपत्र दिनांक 09.07.1... के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारान श्रीराम, बापूलाल ... भारतलाल द्वारा ग्राम रोशनबाडी के खसरा न0 369 रकबा 7 बिस्वा को अपनी खातेदारी की आराजी बंता कर 500/– के प्रतिफल में वादी के पिता कंवरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(11)

वल्द मथुरादास बैरागी को बैचान कर कब्जा सौंप दिया था। ग्राम रोशनबाडी की आराजी के कुल 3 खातेदारान (श्रीराम, बापूलाल पिसरान भारतराम एवं भवानीराम वल्द भारतलाल तथा मांगीलाल वल्द धारीराम) में से मांगीलाल वल्द धारीराम को छोडकर शेष खातेदारो द्वारा वादी के पिता को भूमि का बैचान किया गया था। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0 369 रकबा 7 बिस्वा में से केवल 2/3 भाग का ही बैचान हुआ था। मांगीलाल वल्द धारीराम द्वारा अपना हिस्सा 1/3 बैचान किया जाना साबित नही होता है। ग्राम रोशनबाडी की हाल जमाबंदी संवत् 2073–76 के अवलोकन जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में श्रीराम, बापूलाल पिसरान भारतराम हिस्सा 2/3 एवं मांगीलाल पुत्र धारीराम हिस्सा 1/3 के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा पेश ग्राम रोशनबाडी के नामान्तरण सं0 72 दिनांक 24.12.1976 के अवलोकन से स्पष्ट है किं बैचान पत्र दिनांक 09.07.1974 के आधार पर क्रेता कवंरलाल वल्द मथुरादास बैरागी के पक्ष में ग्राम पंचायत कडोदिया द्वारा बैचान नामान्तरण निर्णित किया गया था लेकिन आगामी चौसाला जमाबंदी सवंत् 2033–36 में उक्त नामान्तरण का अमल दरामद नही किया गया जो प्रथम दृष्टया राजस्व कार्मिको की लापरवाही है और प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के अनुसार ऐसी लापरवाही के लिये क्रेता काश्तकार को सजा देना न्यायोचित नही है। अतः स्पष्ट है कि रजिस्ट्रर्ड विक्रयपत्र दिनांक 09.07.1974 एवं लम्बे कब्जाकाश्त के आधार पर वादग्रस्त आराजी के हिस्से 2/3 तक का स्वामित्व व कब्जा वादी के पिता कंवरलाल के पक्ष में है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

7. वादी द्वारा पेश साक्ष्य गवाह PW-2 रामचन्दर ने कथन किया है कि मेरे गांव में मेरे पड़ोसी गांव चछलाव के रहने वाले श्रीराम, बापूलाल पिस. भारतराम व भुवानीराम पिस. भंवालाल कुल्मी की कृषि आराजी जो लगभग 7 बिस्वा करीब थी को सन् 1974 में हमारे गांव के श्री कंवरलाल पिता मथुरादास बेरागी द्वारा खरीद कर ली थी तब से पहले स्वयं कंवरलाल ... का कब्जा काश्त चला आ रहा है यह आराजी कंवरलाल ... ही खरीद की थी। इसी प्रकार साक्ष्य गवाह PW.3 कन्हैयालाल ने कथन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

दर्ज चली आ रही है। यह आराजी विक्रेता के खाते से कम कर वादी एवं प्रतिवादी नं.1 की खातेदारी में दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की

Scanned with OKEN Scanner

है कि ग्राम रोशनाबाडी कड़ोदिया तह. रायपुर की जमाबंदी खाता 282 सम्वत् 2069–72 में खसरा 826/369 रकबा 7 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसको बीरमलाल व रामलाल के पिता कंवरलाल जी ने दिनांक 09.08.1944 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से खातेदार बापूलाल श्रीराम पि. भारतराम तथा भवानीराम कुल्मी निवासी चछलाव से कय किया था तब से ही यह आराजी पहले तो कंवरलालजी के कब्जे काश्त में तथा वर्तमान में बीरमलाल व रामलाल के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। बीरमलाल व रामलाल दोनो मिलकर काश्त कर रहे है।

उपरोक्त साक्ष्य गवाहो के बयानो से वादग्रस्त आराजी मूल खसरा न0 369 हाल खसरा न0 826/369 रकबा 7 बिस्वा पर पहले वादी के पिता का और उनके बाद वादी का विगत करीब 50 वर्षो से लगातार कब्जाकाश्त चला आना साबित होता है।

8. वादी का कथन है कि क्रेता खातेदार कवंरलाल वल्द मथुरादास बैरागी के केवल दो पुत्र वादी व प्रतिवादी सं0 1 है लेकिन वादी ने कंवरलाल के वारिसानो के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है। अतः साक्ष्य के अभाव में यह साबित नही है कि क्रेता खातेदार कवंरलाल वल्द मथुरादास बैरागी के केवल दो वारिसान है और इसलिए वारिसान की जॉच किया जाना आवश्यक है।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम रोशनवाडी की वादग्रस्त आराजी हालं खसरा न0 826/369 रकबा 0.0885 हैक्ट0 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

10. परिणामस्वरुप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम रोशनबाडी तहसील रायपुर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(13)

वादग्रस्त आराजी हाल खसरा न0 826/369 रकबा 0.0885 हैक्ट0 में बापूलाल, श्रीराम पिसरान भारतराम हिस्सा 2/3 के स्थान पर मृतक क्रेता कंवरलाल वल्द मथुरादास बैरागी के वारिसान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायपुर क्रेता कंवरलाल वल्द मथुरादास बैरागी के वारिसान की जॉच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/12/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा,जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner